चित्रकूट-पुलिस

(1). 02 अन्तर्जनपदीय बाइक चोर गिरफ्तार
चोरी की 12 बाइकें बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा 02 अन्तर्जनपदीय बाइक चोरों को चोरी की 12 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रज्जू उर्फ राजू पुत्र रामऔतार उम्र 30 वर्ष निवासी खटेहटा थाना बदौसा जनपद बांदा
2. संतोष कुमार पुत्र बुद्धिविलास निवासी सेमरिया कस्बा अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा

अभियुक्त रज्ज उर्फ राजू का आपराधिक इतिहासः-

1.मुअ0सं0 87/2019 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा
2.मु0अ0सं0 261/2024 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
3.मु0अ0स0 313/024 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 379/2024 धारा 411,413,420,467,468,471,34 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

अभियुक्त संतोष कुमार का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 261/2024 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
2.मु0अ0स0 313/024 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
3.मु0अ0सं0 379/2024 धारा 411,413,420,467,468,471,34 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

बरामदगीः-

1.मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर UP 90 Q 6850 हीरो स्पलेंडर रंग काला
2.मोटर साइकिल पैशन प्रो हीरो काली जिसका रजि0 नं0 UP96 K1483
3.बिना नम्बर के मोटरसाइकिल पैशन प्रोकाला रंग
4.मोटर साइकिल होण्डा HP साइन 125 CC जिसका रजि0 नं0 MP35 MB9253
5.बिना नम्बर के हीरो होण्डा स्पलेन्डर NXS
6.HF डीलक्स मोटर साइकिल रंग काली लाल स्टीकर जिसका रजि0 नं0 MP19MQ2864
7.मोटरसाइकिल HF डीलक्स नम्बर नम्बह की रंग काला
8.मोटरसाइकिल होण्डा SP 125 जिसका रजि0 नम्बर नं0 PB91J7159
9.मोटर साइकिल होण्डा रंग काला रजि0 नं0 UP90L9918
10.मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पेलन्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP70FR1533
11.मोटरसाइकिल रंग लाल हीरो होन्डा C.D. डीलक्स जिसके नम्बर प्लेट पर UP65AV0828
12. स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP33 BH2696

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

कंचनपुर लौढ़िया थाना कोवलाली कर्वी, जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 09.06.2024 की रात्रि समय 23.50 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि 02 व्यक्ति चोरी की बाइक के लिये कसहाई की तरफ से रगौली की तरफ जा रहे हैं। इस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर जाकर मौके से

मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर UP 90 Q 6850 हीरो स्पलेंडर रंग काला पर सवार अभियुक्त 1. रज्जू उर्फ राजू पुत्र रामऔतार उम्र 30 वर्ष निवासी खटेहटा थाना बदौसा जनपद बांदा 2. संतोष कुमार पुत्र बुद्धिविलास निवासी सेमरिया कस्बा अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनों भीड़-भाड़ वाले स्थान की रेकी कर अलग-ललग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तथा बाद में उन्हें बेंच देते हैं तथा हम दोनों ने चोरी की 11 मोटरसाइकिलें कंचनपुर लौढ़िया में नाले में छिपा कर रखा हुआ है। अभियुक्तों के निशादेही पर कंचनपुर लौढ़िया नाले से जिसमें 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी, सभी वाहनों को ई-चालान एप के माध्यम से चेक किया गया तो कई वाहनों के नम्बर प्लेट बदलीं गयी हैं तथा कई वाहनों के चेचिस नम्बर घिसकर मिटाये गये हैं तथा नम्बर प्लेट के आगे का या पीछे का नम्बर तोड़ा गया गया।

बरामदशुदा मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पेलन्डर प्लस रंग काला जिसका नम्बर प्लेट टूटा हुआ है जिस पर आगे UP70FR अंकित है जिसका चेचिस नं0 MBLHAW112MHC70268 अंकित है ई चालान एप पर देखा गया तो उक्त वाहन का वास्तविक रजि0 नं0 UP70FR1533 पाया गया जिसका वाहन स्वामी प्रेमचन्द्र भारतीय पुत्र कमलेश कुमार निवासी रेही तालुका बैदला प्रयागराज दिखा रहा है जिसकी चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 261/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है तथा मोटरसाइकिल रंग लाल हीरो होन्डा C.D. डीलक्स जिसके नम्बर प्लेट पर UP65AV0828 अंकित है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाल कर्वी में मु0अ0स0 313/024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है।

उपरोक्त मुकदमों से सम्बन्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अन्य मोटरसाइकिलों के बरामदगी एवं उसके नम्बर से छेड़छाड़ करने के आधार पर गिरफ्तारशुदा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 379/2024 धारा 411,413,420,467,468,471,34 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला कारागार
3.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
4.आरक्षी शुभम शर्मा
5.आरक्षी राहुल देव
6.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने

के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). आज दिनाँक 10.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा मुख्य आरक्षी पर हमला करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.06.2024 थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत पटेल तिराहा पर पुलिस लाइन्स में नियुक्त मुख्य आरक्षी साकिर हुसैन पर पत्थरों से हमला कर दिया था, घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 375/2024 धारा 307,427 भादवि पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा दिनाँक 09.06.2024 को अभियुक्त मैकू पुत्र सीताराम निवासी मछली मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा हर्ष द्विवेदी पुत्र कौशल कुमार द्विवेदी निवासी कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मैकू उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुये। अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>बरामदगीः-</u>

01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी सुरेन्द्र सिंह
3.आरक्षी दीपक कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री आशाराम निवासी दतिया जिला दतिया म0प्र0 के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी अमानिका सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगडे को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रिफा सिद्दीकी पुत्री समसुद्दीन सिद्दीकी निवासी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अपने वसी सिद्दीकी निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मारपीट करने के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। थानाध्यक्ष महिला थाना तथा उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।
समझौता कराने वाली टीमः-
1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज
2.महिला आरक्षी शिल्पा रंजन
3.महिला आरक्षी दीपिका सिंह